

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2383 /2021 दिनांक 29.10.2021

श्री धीरिन्द्र सिंह राजावत (RJ0245), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, कोटा को दिनांक 04.10.2021 से 06.10.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.10.2021 से 03.10.2021 एवं 07.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री राजावत की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, कोटा के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

38-10-21
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/60/1996/6024

दिनांक :29.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, कोटा को उनके पत्रांक 33 दिनांक 08.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री धीरिन्द्र सिंह राजावत (RJ0245), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, कोटा ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, कोटा ।


सहायक रजिस्ट्रार